

थाना खुटार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,

मुठभेड के दौरान 25-25 हजार के दो इनामी/टॉप-10/हिस्ट्रीशीटर बदमाश गिरफ्तार ।

दिनांक 10/10/2020 को पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहांपुर डा0 एस0 आनन्द के कुशल नेतृत्व व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती अपर्णा गौतम व क्षेत्राधिकारी पुवायां श्री नवनीत कुमार नायक के कुशल निर्देशन मे गठित टीम के सदस्य थानाध्यक्ष जयशंकर सिंह , उ0नि0 हरेन्द्रप्रताप सिंह मय हमराह फोर्स के द्वारा गस्त के दौरान थाना खुटार से गैंगस्टर एक्ट मे वांछित, पुरुस्कार घोषित टॉप टेन अपराधी, हिस्ट्रीशीटर व शराब माफिया बलजीत उर्फ बल्ली पुत्र हरभजन सिंह निवासी ग्राम सुजानपुर थाना खुटार जनपद शाहजहांपुर व देशराज पुत्र भगवान निवासी ग्राम मैनिया थाना खुटार जनपद शाहजहांपुर को समय सांय 20.15 बजे चकदाह पुल से पुलिस मुठभेड के दौरान बिना नम्बर प्लेट की एक अदद मोटरसाइकिल बजाज प्लेटिना व एक अदद तमंचा 315 बोर मय कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणो को न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

अपराध का तरीका व कार्यक्षेत्र:-

पूछताछ से ज्ञात हुआ कि बलजीत उर्फ बल्ली व देशराज उपरोक्त का परिवार लगभग 30 वर्ष पूर्व ग्राम मैनिया सुजानपुर आया तथा किसानो से ठेके पर जमीन लेकर खेती करता था । कुछ समय पश्चात इसका परिवार अवैध कच्ची शराब व कैमिकल से कच्ची शराब बनाने लगे तथा अवैध शराब के कारोबार से इनके पास लगभग 05 एकड जमीन व पक्के मकान , गाडियां , कृषि यन्त्र सहित करोडो की संपत्ति अर्जित कर रखें है। इसका सगा भाई गुस्मीत उर्फ बब्बू भी थाने का हिस्ट्रीशीटर हैं तथा अभियुक्तगण बलजीत उर्फ बल्ली व देशराज उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 393 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट व मु0अ0स0 346 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत है। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर हमला भी किया जा चुका है। जिसमे अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व मे थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत है। इसका गिरोह कैमिकल तथा गुड, सीरा से अवैध कच्ची शराब बनाता है तथा शराब जनपद शाहजहांपुर, पीलीभीत , लखीमपुर तक तस्करी करते है । अभियुक्त देशराज मु0अ0स0 346/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट मे तथा अभियुक्त बलजीत उर्फ बल्ली मु0अ0स0 393/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट मे थाना खुटार शाहजहांपुर मे कई दिनों से वांछित चल रहे थे । पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर द्वारा दोनो ही बदमाशो की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु 25000- 25000 रु0 का पुरुस्कार घोषित किया गया था । अभियुक्त बलजीत उर्फ बल्ली व देशराज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर लगभग एक दर्जन अपराधिक अभियोग पंजीकृत है तथा थाने के टाप 10 अपराधी व हिस्ट्रीशीटर है तथा उक्त दोनो बदमाश रजिस्टर्ड गैंग का सदस्य है ।

पूछताछ से यह भी ज्ञात हुआ कि इनके गिरोह द्वारा अपराधिक गतिविधियो से अर्जित की गयी चल अचल सम्पत्ति की थाना स्थानीय पुलिस द्वारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत जब्तीकरण की कार्यवाही से इनका गिरोह बोखलाहट मे है तथा इन लोगो ने पुलिस की मुखबिरी के शक के आधार पर मुखबिर को पकडने के लिए एक माह पूर्व रुद्रपुर (उत्तराखण्ड) गये थे किन्तु मुखबिर के ना मिलने से यह लोग वापस चले आये थे। तब से लगातार मुखबिर की हत्या की योजना बना रहे थे। पुलिस से बचने के लिए यह लोग लगातार अपना फोन नम्बर व लोकेशन बदलकर रह रहे थे। गिरफ्तारी से पूर्व यह लोग तिकुनिया नैपाल बार्डर के पास छिप कर रह रहे थे। सूचना मुखबिरी व सर्विलांस के आधार पर दोनो अभियुक्तो को ही पुलिस पार्टी द्वारा रोका गया तो पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर की। फायर कर भागने का प्रयास किये किन्तु पुलिस की सतर्कता से मुठभेड के दौरान ही चकदाह पुल के पास पकडे गये। गिरफ्तारी के समय बलजीत उर्फ बल्ली ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से तमंचा से फायर किया किन्तु संयोगवश पुलिस पार्टी बाल -2 बच गयी तथा घेरकर मोटर साइकिल सहित दोनो ही अभियुक्तो को पकड लिया। इनकी गिरफ्तारी से यह खुलासा हुआ कि यह लोग मुखबिर को रुद्रपुर (उत्तराखण्ड) से उठाकर अज्ञात स्थान पर ले जाकर मारकर एक्सीडेंट दिखाने की योजना बनाये थे। अभियुक्त की गिरफ्तारी से बड़ी वारदात होने से बच गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. बलजीत उर्फ बल्ली पुत्र हरभजन सिंह निवासी ग्राम सुजानपुर थाना खुटार जनपद शाहजहांपुर
2. देशराज पुत्र भगवान निवासी ग्राम मैनिया थाना खुटार जनपद शाहजहांपुर

बरामदगी का विवरण:-

1. मोटरसाइकिल बजाज प्लेटिना 125 विना नम्बर प्लेट
2. एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक जिंदा कारतूस 315 बोर व एक खोखा कारतूस 315 बोर ।

## अपराधिक इतिहास-

01- बलजीत सिंह उर्फ बल्ली पुत्र हरभजन सिंह निवासी ग्राम मैनिया थाना खुटार जनपद शाहजहांपुर

कृ०स०	अ०स०	धारा	थाना	जिला
1	103/04	8/18 NDPS Act	खुटार	शाहजहांपुर
2	284/04	8/20 NDPS Act	खुटार	शाहजहांपुर
3	166/05	25 आर्म्स एक्ट	खुटार	शाहजहांपुर
4	97/06	60/72 आबकारी अधि०	खुटार	शाहजहांपुर
5	70/08	8/20 NDPS Act	खुटार	शाहजहांपुर
6	909/16	60(2) आबकारी अधि०	खुटार	शाहजहांपुर
7	652/16	3(1) यू०पी गुण्डा	खुटार	शाहजहांपुर
8	524/17	60(2) आबकारी अधि०	खुटार	शाहजहांपुर
9	225/20	60 आबकारी अधि०	खुटार	शाहजहांपुर
10	226/20	504/506 भादवि	खुटार	शाहजहांपुर
11	198/20	147/148/149/307/332/353/225/427 IPC व 7 CL Act	खुटार	शाहजहांपुर
12	393/2020	2/3 गैंगस्टर एक्ट	खुटार	शाहजहांपुर

अपराधिक इतिहास-देशराज सिंह पुत्र भगवान सिंह निवासी ग्राम मैनिया थाना खुटार शाहजहांपुर

कृ०स०	अ०स०	धारा	थाना	जिला
1	908/16	60(2) आबकारी अधि०	खुटार	शाहजहांपुर
2	1108/16	302/201 भादवि	खुटार	शाहजहांपुर
3	797/17	60(2) आबकारी अधि०	खुटार	शाहजहांपुर
4	88/19	60(2) आबकारी अधि०	खुटार	शाहजहांपुर
5	164/2020	60(2) आबकारी अधि०	खुटार	शाहजहांपुर
6	186/2020	60(2) आबकारी अधि० व 272 भादवि	खुटार	शाहजहांपुर
7	198/20	147/148/149/307/332/353/225/427 भादवि व 7 CL Act	खुटार	शाहजहांपुर
8	346/2020	2/3 गैंगस्टर	खुटार	शाहजहांपुर

## गिरफ्तार करने वाले टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष श्री जयशंकर सिंह थाना खुटार जनपद शाहजहांपुर
1. उ०नि० श्री हरेन्द्रप्रताप सिंह थाना खुटार जनपद शाहजहांपुर
2. हे०का० जय प्रकाश सिंह थाना खुटार जनपद शाहजहांपुर
3. का० विजयप्रताप सिंह थाना खुटार जनपद शाहजहांपुर
4. का० आलोक कुमार थाना खुटार जनपद शाहजहांपुर
5. का० आसिफ हुसैन थाना खुटार जनपद शाहजहांपुर
6. का० संजीव कुमार सर्विलांस सैल शाहजहांपुर
7. का० अजय चौधरी सर्विलांस सैल शाहजहांपुर